राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3)

क्रमांक : एफ-4 (5) ग्रावि-3/नरेगा/08-09 जयपुर, दिनांक : 17.06.2008

जिला कलेक्टर एवं जिला कार्यक्रम समन्वयक,
राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी स्कीम राजस्थान,
समस्त राजस्थान

विषयः- राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत निवेदन है कि अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (इन्टेलिजेन्स) राजस्थान, जयपुर द्वारा अवगत कराया गया है कि राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजनान्तर्गत चल रहे कार्यों का पर्यवेक्षण अत्यन्त कमजोर है, स्थानीय अधिकारी मौके पर जाकर चैक नहीं करते हैं, जिससे मेटों व ग्रामसेवकों द्वारा मनमानी पूर्वक कार्य करने का कथित आरोप है। इसके अकिरिक्त समय पर एवं पूर्ण मजदूरी का भुगतान न होना, जॉब कार्ड बनवाने, चिकित्सा व्यवस्था उपलब्ध करवाने, कार्यस्थल पर छाया व शिशु पालना आदि उपलब्ध न कराने के कारण श्रमिकों में व्यापक रोष है। श्रमिकों द्वारा 7 घण्टे कार्य करने पर 100 रु. मजदूरी दिये जाने की मांग की जा रही है।

इस संबंध में निर्देशित किया जाता है कि जिले में चल रहे सभी कार्यो का शत-प्रतिशत निरीक्षण किया जावे, प्रत्येक कार्यस्थल पर टास्क बोर्ड आवश्यक रूप से लगाए जावें, कार्यस्थल सुविधाएं आवश्यक रूप से उपलब्ध कराई जावें। मस्टर रोल पर कार्यरत श्रमिकों का सत्यापन किया जावे एवं यदि मस्टर रोल में अनियमितताएं पाए जाने पर तुरंत प्रभाव से मेट के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई जावे एवं उसे कार्यस्थल से तुरन्त प्रभाव से हटा दिया जावे। कार्य पर कार्यरत श्रमिकों का 5-5 का समूह उनकी इच्छानुसार बनाया जावे एवं प्रत्येक समूह की नाप पृथक से की जावे। कनिष्ठ तकनीकी सहायक एवं वरिष्ठ तकनीकी सहायक द्वारा कार्यो की जांच समय-समय पर की जावे। भुगतान नियत समय में आवश्यक रूप से किया जावे। विस्तृत आई.ई.सी. के माध्यम से यह अवगत कराया जावे कि नरेगा टास्क आधारित स्कीम है एवं टास्क पूर्ण होने पर ही नियत मजदूरी का भुगतान किया जाना संभव है। इसके लिए पोस्टर, पम्पलेट्स एवं् स्थानीय तरीके काम में लिये जावें।

कृपया इस संबंध में कार्यवाही सुनिश्चित करें ताकि योजनान्तर्गत किसी प्रकार का व्यवधान ना हो। साथ ही संबंधित फील्ड अधिकारियों एवं कर्मचारियों को क्षमिकों के साथ संवेदनशील रहने एवं श्रमिकों की समस्याओं का निराकरण करने हेतु भी अपने स्तर से आदेश प्रसारित करें।

भवदीय
(सुदर्शन सेठी)
आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस

प्रतिलिपि निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः-

1. निजी सचिव, अतिरिक्त महानिदेशक पुलिस (इन्टेलीजेन्स) राजस्थान, जयपुर।
2. संभागीय आयुक्त, समस्त राजस्थान को भेजकर निवेदन है कि अपने स्तर पर भी मोनिटरिंग सुनिश्चित करें ताकि कानून व्यवस्था की स्थिति उत्पन्न ना हो।
3. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद समस्त राजस्थान को उपरोक्तानुसार आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

आयुक्त एवं शासन सचिव, ईजीएस